तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर** **दीवानी अपील सख्या 29/2016** **सीआईएस संख्या 1037/2014** **दीपक बनाम अहमद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2025	दिनांक 24.07.2025 को न्यायिक कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश पर रहने से पत्रावली आज पेशी हेतु नियत की गई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। प्रत्यर्थी अधिवक्ता की ओर से कोस्ट की राशि जमा करवाकर रसीद पेश की गयी, शामिल रहे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 33 सपठित धारा 107 व 151 सीपीसी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। प्रकरण में दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है। इस सम्बंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Karamajit Kaur vs Natha Ram & ors CR 6759/2024 में माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 6 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य बनाम टी. सहानी 2001 (10) एस.सी.सी. 619** में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह वर्णित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल अपील के निस्तारण के साथ ही किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी मूल अपील पर सुनवाई शेष है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया जाना न्यायोचित है कि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण वरवक्त अपील निस्तारण किया जावेगा। बहस अपील हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा समय चाहा गया। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है, आईन्दा आवश्यक रूप से बहस करे। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 20.08.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **कम–3, अजमेर**	